संख्या:138/2015/1482जेएल/22-3-15-100(59)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2015***

विषय: जिला कारागार-मऊ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी लालू उर्फ विनोद यादव पुत्र स्व0 रामबचन यादव तथा जिला कारागार-देवरिया में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों-सुजीत सिंह उर्फ बुढवा पुत्र श्री कमलेश सिंह एवं अरविन्द सिंह पुत्र श्री बसावन सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-16016/सामा-1(3)/वाराणसी मं0/2014, दिनांक 08-05-2015 में की गयी संस्तुति एवं मा0 विचारण न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार-मऊ/देविरया में निरूद्ध निम्नलिखित बंदियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0	**विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम**	**निरूद्धी की वर्तमान कारागार**	**कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।**
1	लालू उर्फ विनोद यादव पुत्र स्व0 रामबचन यादव	जिला कारागार, मऊ।	जिला कारागार, पीलीभीत।
2	सुजीत सिंह उर्फ बुढवा पुत्र श्री कमलेश सिंह	जिला कारागार, देवरिया।	जिला कारागार, रामपुर।
3	अरविन्द सिंह पुत्र श्री बसावन सिंह	जिला कारागार, देवरिया।	जिला कारागार, बिजनौर।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:138/2015/1482जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, मऊ/देविरया।
2. पुलिस अधीक्षक, मऊ/देवरिया।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, मऊ/देवरिया/पीलीभीत/रामपुर/बिजनौर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।